

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 18/19th January, 2012

No. 18/16/2010-3C1.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 4 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), and all other powers enabling him in this behalf and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department, Notification No. 18/16/2010-3C1, dated 1st June, 2011, the Governor of Haryana hereby includes within the Municipal Committee Farrukh Nagar in Gurgaon District, the area lying between the existing boundaries as defined in erstwhile Punjab Government, Notification No. 4300, dated the 13th February, 1933 and Haryana Government, Local Bodies Department, Notification No. 25/20/83-2C1, dated the 28th August, 1984, and the boundaries now proposed as specified in the schedule here to appended.

Schedule

Description of Boudnary

- North :* Starting from Point A Killa No. 10 of Rectangle No. 1 (North West Corner) towards East going along with Boundary of Revenue Farrukh Nagar upto Killa No. 22 of Rectangle No. 4 at Point B and from this point going along with Boundary of Revenue Farrukh Nagar upto Killa No. 5 of Rectangle No. 33 at Point C and from this point going along with Boundary of Revenue Farrukh Nagar upto Killa No. 23 of Rectenagle No. 122 at Point D.
- East :* Starting from Point D Killa No. 23 of Rectangle No. 122 (North East Corner) towards South going along with Boundary of Revenue Farrukh Nagar upto Killa No. 14 of Rectangle No. 127 at Point E and from this point going along with Boundary of Revenue Farrukh Nagar upto Killa No. 18 of Rectangle No. 152 at Point F and from this point going along with Boundary of Revenue Farrukh Nagar upto Killa No. 1/2 of Rectangle No. 184/1 at Point G.
- South :* Starting from Point G Killa No. 1/2 of Rectangle No. 184/1 (South East Corner) towards West going along with Boundary of Revenue Farrukh Nagar upto Killa No. 22 of Rectangle No. 84 at Point H.
- West :* Starting from Point H Killa No. 22 of Rectnagle No. 84 (South West Corner) towards North going along with Boundary of Revenue Farrukh Nagar upto Killa No. 20 of Rectangle No. 71 at Point I and from this Point going alongwith Boundary of Revenue Farrukh Nagar upto Killa No. 10 of Rectangle No. 1 at Point A.

S. S. DHILLON,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना
दिनांक 18/19 जनवरी, 2012

संख्या 18/16/2010-3क1.—हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24), की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 18/16/2010-3क1, दिनांक 1 जून, 2011 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा भूतपूर्व पंजाब सरकार, स्थानीय शासन विभाग (समितियां), अधिसूचना संख्या 4300, दिनांक 13 फरवरी, 1933 में तथा हरियाणा सरकार, स्थानीय शासन विभाग, अधिसूचना संख्या 25/20/83-2क1, दिनांक 28 अगस्त, 1984 में यथा परिनिश्चित विद्यमान सीमाओं तथा इसमें नीचे संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कतिपय क्षेत्रों में जिला गुडगांव की फारुखनगर नगरपालिका के भीतर सम्मिलित करने की घोषणा करते हैं।

सीमाओं की अनुसूची

- उत्तर :** बिन्दु ए आयताकार संख्या 1 के किला नं० 10 (उत्तरी-पश्चिमी कोना) से आरम्भ होकर पूर्व की तरफ फारुखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिन्दु बी पर आयताकार संख्या 4 के किला नं० 22 तक तथा इसी बिन्दु से फारुखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिन्दु सी पर आयताकार संख्या 33 के किला नं० 5 तक एवं इसी बिन्दु से फारुखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिन्दु डी पर आयताकार संख्या 122 के किला नं० 23 तक।
- पूर्व :** बिन्दु डी आयताकार संख्या 122 के किला नं० 23 (उत्तरी-पूर्वी कोना) से आरम्भ होकर दक्षिण की तरफ फारुखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिन्दु ई पर आयताकार संख्या 127 के किला नं० 14 तक तथा इसी बिन्दु से फारुखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिन्दु एफ पर आयताकार संख्या 152 के किला नं० 18 तक एवं इसी बिन्दु से फारुखनगर की राजस्व की सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिन्दु जी पर आयताकार संख्या 184/1 के किला नं० 1/2 तक।
- दक्षिण :** बिन्दु जी आयताकार संख्या 184/1 के किला नं० 1/2 (दक्षिण-पूर्वी कोना) से आरम्भ होकर पश्चिम की तरफ फारुखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिन्दु एच पर आयताकार संख्या 84 के किला नं० 22 तक।
- पश्चिम :** बिन्दु एच आयताकार संख्या 84 के किला नं० 22 (दक्षिणी-पश्चिमी कोना) से आरम्भ होकर उत्तर की तरफ फारुखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिन्दु आई पर आयताकार संख्या 71 के किला नं० 20 तक एवं इसी बिन्दु से फारुखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिन्दु ए पर आयताकार संख्या 1 के किला नं० 10 तक।

एस०एस० ढिल्लो,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।